8th

उ0प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को अपरान्ह 12:00 बजे मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष राज्य गंगा समिति की सम्पन्न आठवीं का कार्यवृत्त।

एजेण्डा बिन्दु	मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति द्वारा दिये गये निर्देश
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.1 राज्य गंगा राज्य गंगा समिति की दिनांक 19.08.2020 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवृत।	कार्यवृत का अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.2 राज्य गंगा समिति की सातवीं बैठक मे लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या।	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुपालन आख्या विस्तृत रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.3 नमामि गंगें/एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित एवं निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें निर्देश दिए गए कि परियोजनाओ का लक्ष्य निर्धारित कर परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण कराया जाये।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.4 नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हैम मॉडल पर संचालित/निर्माणाधीन सीवरेज परियोजनाओं का विवरण।	हैम मॉडल पर संचालित/निर्माणाधीन सीवरेज परियोजनाओं की राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा सघन निगरानी/निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये, साथ ही जनपद कानपुर में हैम मॉडल पर संचालित/निर्माणाधीन सीवरेज परियोजना फर्म के0आर0एम0पी0एल0 के द्वारा गंगा नदी में अशोधित सीवर प्रवाहित करने का संज्ञान लिया गया तथा फर्म पर विधिक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.5 जिला गंगा समितियों के गठन एवं दायित्वों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना का विवरण।	4- उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचित महोदय द्वारा गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित सभी जनपदों में जिला गंगा समितियों का गठन शीघ्र कराये जाने तथ अवशेष 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से नामित सदस्यों के नाम शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

श्री टैक्नोक्रैट
कृपया अनुपालन आख्या पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करें
11/12/2021
अपर परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0
लखनऊ

प्रस्तु
11/01/2022
पर्यावरण विशेषज्ञ (गंगा)
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ.प्र.
लखनऊ

ravish.kervirt

Scanned with OKEN Scanner

	के माध्यम से जिला प्रभागीय वनाधिकारी को इस हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया जाये। 5. प्रत्येक जिला गंगा समिति की वार्षिक कार्य योजनाएं सभी सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर बनायी जायें। जनपद में नदियों के पुनरोद्धार से सम्बन्धित संचालित योजनाओं को भी समाहित करते हुए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध करायी जाये। प्रत्येक जिला गंगा समितियों के द्वारा 03 माह में बैठक आयोजित कर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पोर्टल पर बैठक का कार्यवृत एवं तिमाही में किये गये कार्यो की रिपोर्ट एवं उससे सम्बन्धित फोटोग्राफ भी अनिवार्यता अपलोड किये जाये। अपर परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, कानपुर देहात में जिला गंगा समिति के गठन का प्रस्ताव इसलिए नही किया जाना है कि उक्त जनपदों में जनपद मुख्यालयों के 15 कि.मी. की परिधि में कोई नदी नही है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 के 03 जनपद-लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, कानपुर देहात जिनमें जिला गंगा समिति के गठन का वर्तमान में प्रस्ताव नही है, में भी जिला गंगा समिति के गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये, उक्त हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र एनएमसीजी को भेजा जाए। 6. जिला गंगा समितियों के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक में की जाये एवं उसकी रिपोर्ट एसएमसीजी के पोर्टल पर कार्यवृत के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें। ।
<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.6</u> **नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकीकरण एवं**	समिति के समक्ष अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) के द्वारा परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निम्नलिखित

ravish kanan

Scanned with OKEN Scanner

वेटलेन्ड संरक्षण परियोजनाओं का विवरण।	निर्देश दिये गये:- 5- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वर्ष 2016 से लेकर 2021 तक स्वीकृत वानिकीकरण परियोजना की जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट राज्य गंगा समिति/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध करायी जाये तथा किये गये कार्यों की थर्ड पार्टी आंकलन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा कराया जाये। 6- वेटलेन्ड संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की घटकवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट राज्य गंगा समिति/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये तथा महत्वपूर्ण वेटलेन्ड के पुनरोद्धार हेतु कार्य योजना बनायी जाये। 7- कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करे कि संचालित परियोजना भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से आच्छादित नही है। 8- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत अद्यतन स्थिति एवं पत्राचार नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य गंगा समिति/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये
<u>एजेण्डा विन्दु संख्या 8.7</u> गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले नालों की स्थिति एवं नगरों में कचरा प्रबंधन की अद्यतन स्थिति।	उ०प्र० में गंगा व उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले शोधित व अशोधित नालों की स्थिति एवं अशोधित नालों के शोधन की आगामी कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण, उ०प्र० जल निगम-ग्रामीण द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले नालों की परियोजना के अन्तर्गत नालों को टैप करने से पूर्व व टैप करने के बाद जल गुणवता का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाए। इस हेतु उक्त स्थलों में पानी के नमूनों की सैंपलिंग भी करायी जाये तथा शीघ्र नामांकन की कार्यवाही

ravish.barvin

Scanned with OKEN Scanner

	पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.8 राज्य गंगा समिति में पूर्व में 05 विशेषज्ञों का कार्यावधि समाप्त होने के उपरान्त नये 05 विशेषज्ञों को नामित किया जाना।	भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पैरा 20 के प्राविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में राज्य सरकार द्वारा 05 विशेषज्ञों को मनोनित कर नामित करने हेतु प्रस्ताव एनएमसीजी को भेजा जाता है। पूर्व में भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 07.04.2017 द्वारा 05 सदस्यों को नामित किया गया था, जिनका कार्यकाल 02 वर्ष का था, जो दिनांक 06.04.2019 को समाप्त हो गया है, जिनके स्थान पर नये सदस्यों का मनोनयन शासन स्तर से कराया जाना है, जिसके लिए एसएमसीजी के पत्र सं. 337 दिनांक 03.04.2020 तथा अनुस्मारक पत्र सं. 372 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से शासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक नये विशेषज्ञों का मनोनयन नही हो सका है। अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर उच्च स्तर पर विचाराधीन है। समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.9 माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के आदेशों के अनुपालन में की स्थिति।	माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के आदेशों का प्रस्तुतीकरण, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम-ग्रामीण द्वारा किया गया एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी व पारित आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.11 गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारें स्थित उद्योगों की उत्प्रवाह, जल की गुणवता एवं नालों की स्थिति।	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 में संचालित एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित सीवरों में फिकल कालीफॉम/टोटल कॉलीफाम मानक के अनुसार शोधित नही किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयत्रों के शोधित सीवर की जांच करायी जाये तथा नदियों की जल की गुणवता का भी नियमित जांच करायी जाये।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.12 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के वार्षिक बजट 2021-22 एवं कार्य का विवरण।	राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की वार्षिक कार्य योजना बनायी जाये। कार्य योजना बनाते समय यह ध्यान में रखा जाए कि समस्त विभागों की योजनाओं का समन्वय/समावेश उक्त कार्य योजना मे करा लिया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.13 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिए गए जो उक्तवत हैं:-

- नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे संचालित सीवरेज परियोजनाओं का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराए जाए।
- ऐसी परियोजनाएं जो विलम्ब से चल रही है, उनका अनुश्रवण कर विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।
- जिन परियोजनाओं में भूमि विवाद या प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन समस्त प्रकरणों में समन्वय स्थापित कर शीघ्र निस्तारित कराया जाये।
- राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्देशों के क्रम में अर्थगंगा की अवधारणा के अन्तर्गत विभागीय कार्य योजनाएं व्यापक रूप से तैयार करने के साथ-साथ राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा एक वृहद वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाये।
- गंगा नदी के किनारें अवस्थित जनपदों एवं ग्राम पंचायतों को अर्थगंगा की अवधारणा से जोड़ा जाये तथा अर्थगंगा की अवधारणा में कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, उसका डेटा तैयार किया जाये।
- विभागों द्वारा कराये गये उल्लेखनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार कराया जाये, जिन विभागों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है, उनको सूचीबद्ध कर विभागवार किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया जाये।
- गंगा की स्वच्छता, अविरलता व निर्मलता को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अभिनव प्रयोग के माध्यम से प्रचार-प्रसार की गतिविधियां संचालित की जायें।
- प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेजों एवं स्कूलों को नमामि गंगे कार्यक्रम से जोड़ा जाये, तथा प्रचार-प्रसार की जनपदवार गतिविधियों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
- राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पी.पी.पी. मॉडल पर भी कतिपय परियोजनाओं को विकसित करने हेतु प्रयास किया जाये।
- वाराणसी के शाही नाले को टैप किये जाने वाली सीवरेज परियोजना है अतिशीघ्र पूर्ण करायी जाये।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति में चल रही योजनाओं का लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाया जाये।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अनुराग श्रीवास्वत
मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2
संख्या-661/76-2-2021/5एन0जी0/2020
लखनऊः दिनांक02 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
4-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग उ0प्र0 शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन
11-अध्यक्ष, उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
12- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ उ0प्र0।
13- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14- कार्यकारी निदेशक(प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner